ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तुरकडा विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री विजय सिंह	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री विक्रम सिंह	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री गगन सिंह	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत तुरकडा के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	4.3	खाता (ख) में अर्जित ब्याज की राशि को खाता (क) में अन्तरित न किया जाना	0.59
2.	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.28
3.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	6.42

4.	7	निर्माण कार्यों के के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय करना	13.13
5.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक, स्टोर का क्रय करना	3.08

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.7.2016 से 21.7.2016 तक ग्राम पंचायत तुरकडा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 12/14, 4/15 व 3/14, 12/14, 4/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : शून्य, दिनांक 21.7.2016 द्वारा ग्राम पंचायत तुरकडा से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत तुरकडा द्वारा पत्र संख्या : शून्य, दिनांक 22.7.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को भेज दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत तुरकडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत तुरकडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	64914	33653	98597	57048	41549
2014–15	41549	40001	81550	41493	40057
2015–16	40057	21763	61820	44952	16868

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत तुरकडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	649618	2346304	2995922	2187463	808459
2014–15	808459	1376563	2185022	1299288	885734
2015–16	885734	692776	1578510	936611	641899

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष : ₹16868

दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों का अन्तशेष : ₹641899

योग ₹658767

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अनुदान का नाम	जमा राशि (₹)
1.	हि0प्र0 राज्य सहाकारी बैंक चुवाड़ी	18010113619	मनरेगा	शून्य
2.	–यथोपरि–	18010105555	सामान्य	372153
3.	–यथोपरि–	18010110840	वी0आर0जी0एफ0	197631
4.	–यथोपरि–	1801010838	13वां वित्तायोग	88983
		बैंक में कुल जमा राशि		**₹658767**

<u>अन्तशेष का विवरण :–</u>

(क)	दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	**₹658767**
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	**₹658767**

4.2 रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता (क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम 3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता (ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही में राशि को जमा किया गया, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 खाता (ख) में अर्जित ₹0.59 लाख के ब्याज की राशि को खाता क में अन्तरित न किया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधानों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता (ख) से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे, जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता (ख) के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता (क) में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	**अनुदान का नाम**	**वर्ष** 2013—2014	**वर्ष** 2014—2015	**वर्ष** 2014—2015	**कुल राशि (₹)**
1.	वी0आर0जी0एफ0	21689	18617	8361	48667

2.	मनरेगा	4172	105	—	4277
3.	13वां वित्तायोग	1207	1345	3776	6328
		27068	**20067**	**12137=**	**कुल ₹59272**

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstreat) :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म—8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए व दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन—देन के लिए अलग—अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। वर्गीकृत सार को बनाए जाने का उद्धेश्य आय—व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके तैयार न किए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय—व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.5 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :—

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वः स्त्रोत गृहकर भू—राजस्व कर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹28440 वसूली हेतु शेष थी।

1. गृहकर :—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	4500	8625	13125	शून्य	13125
2014—15	13125	9500	22625	14850	7775
2015—16	7775	9500	17225	शून्य	17225

2. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2012–13	–	1905	1905	1905	शून्य
2013–14	शून्य	1905	1905	शून्य	1905
2014–15	1905	1905	3810	शून्य	3810
2015–16	3810	1905	5715	शून्य	5715

3. मोबाईल टावर (एयरटेल):–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	4000	4000	4000	शून्य
2014–15	शून्य	4000	4000	शून्य	4000
2015–16	4000	4000	8000	2500	5500

4. शराब कर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2012–13	–	6008	6008	6008	
2013–14	–	7623	7623	7623	
2014–15	–	1393	1393	1393	
2015–16		(शराब कर प्राप्त नहीं हुआ)			

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6. अनुदान ₹6.42 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹641899 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹13.13 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1312500 का व्यय तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹308150 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अभिलेख का नाम
1.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
2.	स्टॉक/स्टोर रजिस्टर
3.	उपयोगिता प्रमाण पत्र नस्ति

4. चल–अचल संपत्ति रजिस्टर

5. मनरेगा रोकड़ वही 4/2015 से 3/2016

10. पंचायत निधि से ₹0.05 लाख के अधिक भुगतान बारे :–

ग्राम पंचायत तुरकडा द्वारा दिनांक 22.6.2015 को रेत व बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई तथा श्री सन्तोष कुमार की रेत बजरी की आपूर्ति हेतु ₹35 प्रति cft. की दर स्वीकृत की गई, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार स्वीकृत दर से ₹4550 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	विवरण	स्वीकृत दर प्रति cft.	भुगतान प्रति cft.	अधिक भुगतान
1.	15 22.6.15	790 cft. रेत, बजरी का भुगतान	35	40	3950
2.	21 30.9.15	रेत व बजरी की 40 cft. फुट का भुगतान	35	50	600
				योग	**₹4550**

11. अनियमित भुगतान ₹3500 के बारे में :–

सामान्य रोकड़ वही पृष्ठ संख्या : 129, वाउचर संख्या : 11 के अन्तर्गत मैसर्ज दियोट स्टेशनरी मार्ट को बिल संख्या : शून्य, दिनांक 22.5.2015 द्वारा ₹3500 का भुगतान दर्शाया गया है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित फर्म का संलग्न बिल बिलकुल कोरा (Blank) था। इस प्रकार उपरोक्त खाली/कोरे बिल का भुगतान अनियमित है। दर्शित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

12. सामान्य निधि के मस्ट्रोलों के सत्यापन बारे :–

वाउचर संख्या : 57, दिनांक 19.3.2014, : ₹18354

वाउचर संख्या : 58, दिनांक 19.3.2014, : ₹30676

उपरोक्त मस्ट्रोल उप प्रधान के नाम से जारी किए गए अभिलेख की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित मस्ट्रोल उप प्रधान द्वारा प्रत्येक दिन सत्यापित नहीं किए गए थे तथा न ही दिनांक अनुसार प्रत्येक दिन मजदूरों की संख्या दर्शाई गई है। बिना सत्यापन से उपरोक्त भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(7)4/2016–5191–5194, दिनांक30.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, तहसील व जिला चंबा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चंबा, जिला चंबा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, तहसील चंबा, जिला चंबा हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''2'' **(पैरा संख्या : 7 में सन्दर्भित)**

ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा

निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹13.13 लाख का अनियमित व्यय करना

क्र0 सं0	निधि	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1.	(वी0आर0जी0एफ0)	(1) ड्रेन व पक्की गली ककरोदू	187500
		(2) रेन शैल्टर शमशानघाट भगोली नाला	100000
2.	मनरेगा	(1) कुहल मडोगा	75000
		(2) बाढ़ कन्ट्रोल कार्य ढोढन नाला	75000
		(3) ड्रेन ऐट द्रमण	50000
		(4) कालम से कुरनाट तक कुहल का निर्माण	300000
3.	सामान्य निधि	(1) पलेरा नाला से नाग बिन्तरू तक सड़क का निर्माण	300000
		(2) मदरीहाट में महिलामंडल का निर्माण	225000
		योग	**₹1312500**

परिशिष्ट ''3''   (पैरा संख्या : 8 में सन्दर्भित)

ग्राम पंचायत तुरकडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	14, 22.7.14	मै0 वी0एस0 इण्टरप्राईजिज चुवाड़ी से बिल नं0 033, दिनांक 22.7.2014 के अन्तर्गत खरीदी गई एक सोलर स्ट्रीट लाईट का भुगतान	37500
2.	15, 22.7.14	मै0 वी0एस0 इण्टरप्राईजिज चुवाड़ी से बिल नं0 032, दिनांक 22.7.2014 को अन्तर्गत खरीदी गई एक सोलर स्ट्रीट लाईट का भुगतान	37500
3.	22, 26.12.14	श्री राजेश कुमार द्वारा सप्लाई की गई पत्थर की 20 ट्रॉली का भुगतान	20000
4.	25, 4.2.15	श्री सन्तोष शर्मा द्वारा सप्लाई किए गए क्रेशर व रेत भुगतान बिन नं0 शून्य, दिनांक 22.1.2015	35000
5.	28, 9.3.15	श्री सन्तोष शर्मा द्वारा सप्लाई किए गए क्रेशर व रेत का भुगतान	37000
6.	30, 26.11.15	मै0 सुरिन्द्र सिंह चुवाड़ी बिल संख्याः 303, दिनांक 7.11.2015 के अन्तर्गत सप्लाई किए गए सामान का भुगतान (दरवाजे, खिड़की, रेत व बजरी आदि)	50415
7.	32, 26.11.15	मै0 मातुल शर्मा द्वारा सप्लाई किए गए रेत व बजरी आदि का भुगतान बिल नं0 251, दिनांक 26.11.2015	30000
8.	18, 20.12.14	मै0 मातुल शर्मा द्वारा बिल नं0ः शून्य, दिनांक 9.12.2014 के अनतर्गत सप्लाई किए गए रेत व बजरी का भुगतान	28795
9.	48, 10.3.14	श्री खुशहाल सिंह बिल नं0ः शून्य, दिनांक 10.3.2014 के अन्तर्गत सप्लाई किए गए रेत व बजरी का भुगतान	31940
		योग	**₹308150**